Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri Babubhai Jesangbhai Desai on Demand for Effective Implementation of Child Marriage Act across the Country.

Demand for effective implementation of Child Marriage Act across the country

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन में एक अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: सिर्फ माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई: यह हमारे समाज की नींव को कमज़ोर कर रहा है। यह मुद्दा बाल विवाह का है। महोदय, हमारे देश में बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन एक गम्भीर सामाजिक समस्या, जो इस विकास को बाधित करती है, वह है बाल विवाह। बाल विवाह केवल एक परम्परा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है, जो हमारे बच्चों के अधिकारों, उनके उज्ज्वल भविष्य के अधिकारों का हनन और हमारे समाज की प्रगति को गम्भीर नुकसान पहुंचाती है।

माननीय उपसभापति महोदय, देश के हर कोने में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाना, माता-पिता, समुदाय, नागरिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की भूमिका को मज़बूत करना है। साथ ही, उन किशोरी लड़कियों की पहचान करना, जो अचानक स्कूल छोड़ देती हैं, ताकि उनकी शिक्षा, कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए उचित सहायता प्रदान की जा सके।

उपसभापति महोदय, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, PCMA, 2006 लागू होने के बाद बाल-विवाह की घटनाएं कम हुई हैं। वर्ष 2006 में यह आंकड़ा 47 परसेंट था, जो 2019-2021 में घटकर 32.3 परसेंट रह गया है। यह अभी भी गंभीर समस्या है। बाल-विवाह एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह कई और समस्याओं की जड़ है, जैसे कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, बाल तस्करी, जबरन विवाह, असुरक्षित गर्भपात, जिससे लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है कि बाल-विवाह के खिलाफ और प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ने की जरूरत है।

उपसभापति महोदय, बाल-विवाह न केवल हमारी बेटियों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि यह हमारे देश की प्रगति में भी बाधक है। जब कम उम्र में एक लड़की का विवाह किया जाता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है। उसके पास अपनी शिक्षा पूरी करने, अपने सपने को साकार करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर नहीं रह जाता है। इसके अलावा किशोर उम्र में मातृत्व के स्वास्थ्य संबंधी और गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारे देश की मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को बढ़ावा देती है। बाल-विवाह केवल लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बेटे भी इस कुप्रथा का शिकार होते

हैं। उन्हें भी अपनी शिक्षा और करियर से समझौता करना पड़ता है, जिससे उनके आत्मनिर्भर बनने की संभावनाएं घट जाती हैं। सर, राष्ट्रीय अपराध, रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, अपने प्रकाशन भारत में अपराध में बाल-विवाह निषेध अधिनियम PCMA, 2006 के तहत ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member Dr. Sasmit Patra (Odisha) associated himself with the matter raised by hon. Member, Shri Babubhai Jesangbhai Desai.

Demand for additional funds for infrastructural development of existing ITIs in Kerala under Hub and Spoke Model

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, first of all, I thank the Government of India for allocating Rs. 60,000 crore for ITIs. Around 1,000-odd ITIs are there. But Kerala is getting very little. So, I request the Government of India to allocate Rs. 2,100 crore only for Kerala. As you know, Sir, ITI is a skill-development segment. The Government of India is giving much importance to it. I know that. I am one of the Chairmen of Mallapuram Jan Sikshan Sansthan just like our Nadda *ji*'s wife is in Himachal Pradesh. In these centres, we are skilling people. Hence, more funds should be allocated for them. I requested the Minister, Shri Jayant, and he told me that he would be looking into it.

Sir, the main issue in India and Kerala is unemployment. I request the Government to give more money for skill development centres and for the ITIs. The Government is giving Rs.60,000 for a hub-and-spoke initiative. Kerala does not figure much in it. So, I request the Government of India to allocate more funds for Kerala. There is one ITI only for STs in Nilambur in my Wayanad constituency. Please allocate money for it and also for a hub-and-spoke initiative. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Abdul Wahab: Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand to strengthen the Civil Aviation infrastructure in Himachal Pradesh

SHRI HARSH MAHAJAN (Himachal Pradesh): Sir, in this year's Budget, the Government has outlined an ambitious plan to upgrade civil aviation and improve